न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 84/2023 निर्णय दिनांक : 31.1.25

रघुवीर बनाम सुरेश वगै0

1. रघुवीरसिहं उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व. हरचन्द जाति जाट निवासी शिशिंया तहसील व जिला झुझुनूं।

– आवेदक/प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी शिशियां तहसील व जिला झुझुनूं।
2. कुलदीप पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी शिशियां तहसील व जिला झुझुनूं।
3. सतबीर पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी शिशियां तहसील व जिला झुझुनूं।
4. सुलतान पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी शिशियां तहसील व जिला झुझुनूं।
5. रोहिताशसिहं पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी शिशियां तहसील व जिला झुझुनूं।
6. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी शिशियां तहसील व जिला झुझुनूं ।
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कलेक्ट्रेट सर्किल झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं ।
8. आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड शाखा झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं ।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 251:एः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम शिशियां पटवार हल्का बीबासर में स्थित है जिसके हाल ख.न. 169 रकबा 1.33 हैक्टर है। ख.न. 411 प्रार्थी की अलग भूमि है। प्रार्थी अपने खेत में ख.न. 138, 139 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे हमेशा जाता था जो आगे ख.न. 168 में से होते हुये अपने खेत में जाता था ख.न. 138 व 139 की सीमा तक कटान का रास्ता है वहां से मार्क ए. बी. सी. डी. रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में जाता था उक्त रास्ता पूर्व में ख.न. 139 के खातेदार ने अवरूद्ध कर दिया था जिसके बाबत धारा 251 में प्रार्थना पत्र पूर्व में ग्राम पंचायत के समक्ष उसके पश्चात तहसीलदार महोदय ने ख.न. 138 व 139 के खातेदार द्वारा किया गया अवरोध हटवाकर चालू करवाया। इस प्रकार उक्त रास्ते के तथ्य को माना तथा मार्क ए. बी. सी. डी. रास्ते से ही अब भी प्रार्थी अपने खेत में जाता है प्रार्थी अपने खेत में रिहायश बनाकर आबाद है प्रार्थी के खेत में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी की रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है प्रार्थी भूमि को काश्त भी करता है। ख.न. 138 व 139 की भूमि में से 745/139 की भूमि कुलदीप ने बीरबल से खरीद ली अब अप्रार्थी न. 2 कुलदीप जो कि ख.न. 745/139 का खातेदार प्रार्थी का प्रार्थी के खेत के बीच बीच में अवरोध करता रहता है। प्रार्थी ए. बी. सी. डी. रास्ता को कटानी रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है मार्क ए. बिन्दु तक कटानी शास्ता स्थित है मार्क ए. बी. सी. डी. तक कटानी रास्ता 15 फुट दर्ज करवाने का अधिकारी है। ख.न. 168 का खातेदार प्रार्थी को रास्ता देने के लिये तैयार है ख. न. 167 व ख.न. 766/167 को भी ख.न. 168 का खातेदार जाने के लिये मना नहीं करता है रास्ता देने के लिये तैयार है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिये मार्क ए. बी. सी. डी. के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है उक्त ए. बी. सी. डी. रास्ते बाबत पूर्व में अ.धारा 251 में फैसला भी हो चुका है परन्तु बीच बीच में कुलदीप उक्त रास्ते को बन्द कर देता है इसलिये प्रार्थी उक्त रास्ते को कटाने रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। यह कि प्रार्थी ख.न. 745/139 व ख.न. 138 व 139 के खातेदारान को रास्ते में जो

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)

भूमि जाती है उस भूमि की कीमत डी एल सी दर से देने के लिये तैयार है ख.न. 168 का खातेदार रास्ता देने के लिये सहमत है इसलिये ख.न. 138, 139 व 745/139 में से ख.न. 168 में से होते हुये मार्क ए. बी. सी. डी. 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे। उक्त रास्ता निकटम दुरी का रास्ता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। अनावेदक सं. 2 की ओर से एडवोकेट जहीर मोहम्मद द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पत्रावली के साथ एक ओर पत्रावली प्रकरण संख्या 69/2023 जो इन्हीं पक्षकारान से संबंधित है, का अवलोकन किया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षकण के दौरान पक्षकारान की उपस्थिति समझाईस की गई। आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गिल तथा अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामसिंह झाझड़िया उपस्थित आये। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील पक्षकारान ने समझाईस के अनुसार रास्ता कायम करने में अपनी सहमती जाहिर की। प्रार्थना पत्र के संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकारों/आवेदकगणों को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए अधिवक्ता उभय पक्षकारान की सहमति से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: आदेश :—

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम शिंशिया तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 139 की उतरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं. 745/139 तक व खसरा नं. 745/139 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे व दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं. 168 तक व खसरा नं. 168 की उतरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं. 169 व खसरा नं. 744/135 तक 4 मीटर (12 फिट) चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि के खातेदारों को आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि भुगतान करने पर या भुगतान लेने से मना करने पर राशि राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(हवासिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं